कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ

संख्या–एम0ई0–3 / 2018 / लखनऊःदिनांक 01 अगस्त, 2018

यू0पी0 नीट यू0जी0–2018 की द्वितीय चक की ऑन लाईन कांउसिलिंग से पूर्व अभिलेख सत्यापन कराये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना

राजकीय / निजी क्षेत्र के मेडिकल / डेण्टल कालेजों / संस्थानों / विश्वविद्यालयों / अल्पसंख्यक संस्थाओं में एम0बी0बी0एस0 / बी0डी0एस0 पाठ्यकमों में प्रवेश हेतु यू0पी0 नीट यू0जी0 2018 की द्वितीय चक की ऑन लाईन कांउसिलिंग से पूर्व अभिलेख सत्यापन कराये जाने की महत्वपूर्ण तिथियॉ निम्नवत निर्धारित की गयी है :–

ऑल इण्डिया रैंक	नीट 2018 में प्राप्त प्राप्तांक	अभिलेखों के सत्यापन हेतु उपस्थिति होने की तिथि
60 से 59846	662 से 425	03 अगस्त 2018
59886 से 175673	424 से 305	04 अगस्त 2018
175764 से 361533	304 से 200	06 अगस्त 2018
361693 से 757563	199 से 96	07 अगस्त 2018

- उपर्युक्तानुसार अभ्यर्थी अपनी ऑल इण्डिया रैंक के आधार पर सम्मुख उल्लिखित तिथि पर चुने गये नोडल सेण्टर पर स्वयं उपस्थित होना होगा।
- यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित तिथि पर अभिलेखों के सत्यापन हेतु किसी कारणवश उपस्थित नही हो पाता है तो वह दिनांक 07 अगस्त, 2018 को अपने द्वारा चुने गये नोडल सेण्टर पर उपस्थित हो सकता है।
- **ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम चक की कांउसिलिंग के माध्यम से आंवटन प्राप्त कर प्रवेश ले चुके है उन्हे अभिलेखों के सत्यापन कराने की आवश्यकता नही है। ऐसे अभ्यर्थी जो Reshuffle (पुनरावंटन) करना चाहते है वह सीधे च्वाईस लॉक की प्रकिया में प्रतिभाग कर सकते है।**
- ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम चक की कांउसिलिंग प्रक्रिया के दौरान अभिलेखों का सत्यापन करा चुके है और उन्हे कोई आवंटन प्राप्त नही हुआ है, उन्हे पुनः सत्यापन कराना अनिवार्य है परन्तु उन्हे पुनः धरोहर धनराशि जमा करने की आवश्यकता नही है बल्कि पूर्व में जमा किये गये धरोहर धनराशि से सम्बन्धित साक्ष्य लाना अनिवार्य होगा।
- **ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम चक की कांउसिलिंग से आवंटित है और उनके द्वारा प्रवेश नहीं लिया गया है, को निर्धारित तिथि पर उनके द्वारा चयनित नोडल सेण्टर पर पुनः अभिलेख सत्यापन कराना होगा तथा उन्हे पुनः सिक्योरिटी धनराशि जमा करना अनिवार्य है।**
- अभ्यर्थी को अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों (शैक्षणिक / आरक्षण) के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन के उपरान्त अभ्यर्थी ने जो प्रिंट आउट प्राप्त किया था, उक्त को अभिलेखों के सत्यापन के समय दिखाना अनिवार्य होगा।
- सिक्योरिटी धनराशि (रू0 30,000 / – अथवा रू0 2,00,000 / –) का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो **महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 देय लखनऊ** के पक्ष में बना हो, को मूलरूप में जमा करना होगा। डिमाण्ड ड्राफ्ट के पीछे अभ्यर्थी को अपना नाम, अनुक्रमांक, ऑल इण्डिया रैंक तथा मोबाईल नम्बर लिखना अनिवार्य है।
- ऑन लाईन च्वाईस फिलिंग एवं सीट आवंटन के परिणाम की तिथि की सूचना पृथक से वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी।

महत्वपूर्ण सूचनाओं एवं विस्तृत विवरण हेतु समय–समय पर वेबसाईट ***https://upneet.gov.in*** **&** ***www.updgme.in*** तथा वेबसाईट पर प्रदर्शित यू0पी0 नीट यू0जी0 2018 का ब्रोशर अवश्य देखे।

महानिदेशक

संख्या–एम0ई0–3 / 2018 / 2772 तद्दिनांक /

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, चिकित्सा शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, चिकित्सा शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–4
4. निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि उपर्युक्त विज्ञप्ति को विभाग की वेबसाईट ***https://upneet.gov.in*** पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।
5. रजिस्ट्रार, के0जी0एम0यू0, लखनऊ, रजिस्ट्रार, उ0प्र0आ0वि0 सैफई, निदेशक, डा0 रा0म0लो0इं0मे0सा0, लखनऊ, तथा प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, निजी क्षेत्र के मेडिकल / डेण्टल कालेज / संस्थान / विश्वविद्यालय को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड तथा वेबसाईट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करे।
6. सम्बद्ध अधिकारी, चिकित्सा शिक्षा को इस अनुरोध के साथ कि उक्त सूचना विभाग की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करे।

(के0के0गुप्ता)
महानिदेशक